

10.2.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलान्त/रेस्पॉण्डेंट व अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 6/8/24 को पेश
के. डी. ए.

6/8/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलान्त/रेस्पॉण्डेंट व अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/8/24 को पेश
के. डी. ए.

28/8/24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलान्त/रेस्पॉण्डेंट व अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/9/24 को पेश
के. डी. ए.

30.9.24

पत्रावली पेश। प्रकरण में अपीलान्त/रेस्पॉण्डेंट व अधिवक्ता ने बहस हतु समय चाहा, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 10/10/24 को पेश
के. डी. ए.

10.10.24

पत्रावली पेश। वकली अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई ! इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद त्शतीब तकमील दाखिल टफतर हो।
के. डी. ए.



मुख्य अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प अन्डर)